तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 30/2020 मांगीलाल बनाम जीवतराम अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए
01.04.2022	वादी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत कर पत्रवली को आज ही तलब कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई।वादी व उनके अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद मे लिप्त वादग्रसत आराजियात बाबत वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारो के मध्य कोई वाद कारण शेष नही रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अपने कथनो के समर्थन मे वादी व प्रतिवादी के अभिभाषक के द्वारा वाद आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। चूंकि वादी के अभिभाषक द्वारा स्वंय कथन किया गया है कि प्रकरण मे विवादित आराजियात बाबत कोई वाद कारण शेष नही रहा है। इस कारण वाद को आज ही विड्रो करना चाहते है। अतः वादी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2022.05.04 12:28:29 IST
Reason: SelfAttested